

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत।

पत्रांक संख्या/शि०स०/

/2016-17

दिनांक 24/5

प्रबन्धक,

आर०बी०एल०पब्लिक स्कूल,
विकास क्षेत्र बीसलपुर।

विषय:- एन०सी०से कक्षा-8 तक अग्रेजी माध्यम की मान्यता के सम्बंध में।

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18 एस (7)/89 दिनांक 08 मई 2013 के पैरा 13 में प्रावधान किया गया है, कि प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बंधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विधालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी बीसलपुर के द्वारा विधालय का निरीक्षण किया गया निरीक्षण में विधालय उक्त शासनादेश के अनुरूप मानक को पूर्ण कर एवं किसी भी प्रकार की शिकायत परिलक्षित नहीं हुई। अतः अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या शि०स०/7091-97/2012-13 दिनांक 31.07.2012 के द्वारा एन०सी० कक्षा-8 तक अस्थायी मान्यता अग्रेजी माध्यम की प्रदान की गई को अगामी वर्षों तक बढ़ाई जाती है, और निर्देशित किया जाता है, कि उक्त शासनादेश का भविष्य में भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(मसऊद अख्तर अंसारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पीलीभीत

पृ०स०: शि०स०/ 838-11 /2016-17

तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आ०का० हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक(बेसिक)बरेली मण्डल बरेली।
2. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)बरेली मण्डल बरेली।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी बीसलपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
पीलीभीत।